//ज्ञापन//

प्रति,

माननीय राष्ट्रपति महोदया जी,
भारत सरकार दिल्ली

द्वारा:— श्रीमान कलेक्टर महोदय छिन्दवाड़ा।

महोदय जी,

1. विश्व आदिवासी दिवस को शासकीय अवकाश घोषित किया जाये।
2. मणिपुर में आदिवासी महिला पर हुये बलात्कार एवं हत्या की निष्पक्ष जांच की जावे।
3. आदिवासी की भाषाओं टोटम परम्पराओं, संस्कृति स्थल और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संसद के माध्यम से विशेष प्रावधान किया जाये।
4. स्वर्गीय मनमोहन शाह बट्टी जी की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच फास्ट्रेक तरीके से कराई जाये ।
5. युनाईटेड नेशन (संयुक्त राष्ट्र संघ)द्वारा घोषित हक एवं अधिकार मूलवासी अधिकारों को 2007 को प्रभावी किया जाये।
6. पैसा एक्ट 1996 अनुसूची क्षेत्र 5 का विस्तार उन गांवों एवं नगरपालिकाओं तक हो जिनकी आबादी में 50 प्रतिशत का हिस्सा आदिवासी का हो। इन इलाकों में राजस्व शक्तियां राजस्व संबंधित एवं अन्य शक्तियां ग्राम सभाओं को पूर्णतः हस्तांतरित किया जाये। इन क्षेत्रों पर लागू होने वाले कानून को लागू करने के पूर्व ग्राम सभाओं की अनुमति की बाध्यता की जावे।
7. गुलासी गोली काड (फारेस्ट विभाग) बिछुआ ।
8. आदिवासी पेन ठाना (देव स्थल) को राजस्व विभाग में दर्ज किया जाये।
9. शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए गोटुल आदिवासी सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाए।
10. गोंडी भाषा को राज्य भाषा में शामिल किया जाये।
11. भारत यूसीसी कानुन पारित ना किया जाये।
12. निजी क्षेत्र एवं न्यायपालिका में आरक्षण लागू हो।
13. अनुसूची 5 और 6 के क्षेत्रों से वन विभाग को तुरत समाप्त किया जाये और जंगल की रखरखाओं की जिम्मेदारी आदिवासी को दिया जाये।

शेष पेज 2//

14 आदिवासी विस्थापन के संदर्भ मे पुर्नावास और क्षतिपूर्ति पर ग्रामसभाओ की अनुशंसाओ को बाध्यकारी बनाया जाये।

15 धर्म कॉलम कोड प्रकृति संस्कृति (Indigenes Cultures) फिर लाया जाये।

16 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ, सिक्किम पाण्डुचेरी में भी आदिवासी जनगणना हो तथा संवैधानिक अधिकार प्रदान किया जाये।

17 भारत सरकार आईएलओ कॉनवेशन नं0 169 (1989) पर हस्ताक्षर करें व भारत के आदिवासी को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मूल अधिकारो को मान्यता प्रदान करें।

18. जोपनला कचन उइके के हत्या के झुठे आरोप में उनके पिता एवं भाई को 30 वर्ष तक अमरवाड़ा की जेल मे रखा गया, किन्तु इसी प्रकरण को न्यायालय मे चुनौती दी गई, जीवित कचन उइके का न्यायालय के समय किया गया तथा कारावास के बाहर निकाला गया निर्दोष आदिवासी को प्रकरण मे कारावास मे निरूद्ध करने वाले अधिकारियों पर उचित दण्डीक कार्यवाही की जावे।

19. संध्या उइके निवासी एनआईटी रोड़ वार्ड नं0 22 छिन्दवाड़ा के ऊपर तलवार एवं गोली से आक्रमण करने वाले दोषियो को एसटी/एससी एक्ट के तहत दण्डित किया जाकर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जावे।

20 सतना जिले के मैहर में 10 वर्षीय बच्ची के बलत्कार के आरोपियों को फासी की सजा और पीडिता के परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि एवं मामले की सुनवाई फस्टेंक कोर्ट में किया जावे।

21. अनुसूचित जनजाति विभाग में एसटी/एससी वर्ग के ही अधिकारियों की नियुक्ति की जावे।

22 फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारी गैर आदिवासियों की पहचान के लिए बनाई गई केन्द्रीय समिति का आंकड़ा विधानसभा में पेश करें एवं फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर लाभ लेने वालो पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जावे।

23. खेल परिसर की संख्या अदिवासी क्षेत्रों में बढ़ाई जावे।

24. शासकीय विभाग में बैकलॉग पद खाली पड़े है, उन सभी पदों में युवाओं की भर्ती की जावे।

25. शिक्षण संस्थाएं एवं अस्पताल शासकीय हो, प्राईवेट में तालबंदी हो।

26. मध्यप्रदेश में जनजाति मंत्रणा परिषद की बैठको का नियमित रूप से आयोजन किया जावे। एवं इसमें लिए गये निर्णयों और उनके पालन प्रतिवेदन को शासकीय बेवसाईड पोर्टल पर सार्वजानिक किया जावे ताकि आदिवासी वर्ग को इस कार्यवाही की जानकारी मिल सके।

27. राज्य में वर्ष 2003 के बाद अनुसूचित क्षेत्र का पुर्नगठन नहीं किया गया है जबकि जनगणना के वर्ष 2011 के आंकणें राज्य के पास उपलब्ध हैं अतः नवीन जनगणना के आधार पर मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र का पुर्नगठन किया जावे।

28. आदिवासी पर्सनल कस्टमरी लॉ के निर्माण में उचित कदम तत्काल उठाये जावे।

भवदीय
समस्त आदिवासी समाज
जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

छिन्दवाडा
दिनांक– 09/08/2023